UPPB010064472025

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत

पीठासीन अधिकारी–रविन्द्र कुमार–चतुर्थ, (एच.जे.एस.)

UPID-2014

दाण्डिक निगरानी संख्या–311/2025

राजीव गुप्ता पुत्र श्री रामऔतार गुप्ता, निवासी मोहल्ला–खुशीमल 148, थाना–सुनगढ़ी, जिला–पीलीभीत

... . निगरानीकर्ता

बनाम

1–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत,
2–सुरेन्द्र प्रताप वर्तमान अधिशासी अभियन्ता, नगर पालिका परिषद, शिकोहाबाद, जिला–फिरोजाबाद।
3–लालचन्द्र भारतीय पुत्र निहोर भारती, वर्तमान पता–918 सेक्टर–एम, आसियाना कानपुर रोड, लखनऊ।
4–सुश्री सुकुल सोलंकी (कर निरीक्षण अधिकारी) वर्तमान नगर निगम, गाजियाबाद।
5–रोशन लाल, नगर पालिका परिषद, पीलीभीत।
6–श्री कमलेश सिंह (कर परिवेक्षक), नगर पालिका परिषद, पीलीभीत।
7–श्रीमती उमा सहगल (पटल प्रभारी), नगर पालिका परिषद, पीलीभीत।

.... विपक्षीगण

निर्णय

1. यह दाण्डिक निगरानी, निगरानीकर्ता द्वारा, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या–886एम/2025, 'राजीव गुप्ता बनाम सुरेन्द्र प्रताप व अन्य,' अन्तर्गत धारा–173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, थाना–सुनगढ़ी, जिला–पीलीभीत के मामले में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित–16.10.2025 से क्षुब्ध होकर योजित की गयी है, जिससे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को परिवाद के रूप में दर्ज किया गया है।

2. निगरानीकर्ता द्वारा में संक्षेप में आधार लिये गये है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 16.10.2025 विधि विरूद्ध है तथा स्थिर रहने योग्य नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करते समय अपने विधिक मस्तिष्क का उपयोग नहीं किया गया है तथा मनमाने तरीके से पारित किया गया है जो कि विधिक दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। विपक्षीगण द्वारा नगर पालिका, पीलीभीत के अभिलेखों को नष्ट कर कुछ कथित एवं फर्जी अभिलेख तैयार किये गये तथा अभिलेख में हेरा–फेरा की गई तथा विपक्षीगण को उच्च अधिकारियों द्वारा की गयी जांच में दोषी पाया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जिला अधिकारी, पीलीभीत से रिपोर्ट तलब की गई। जिलाधिकारी, पीलीभीत द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में भी विपक्षीगण उक्त प्रकरण में दोषी पाये गये हैं। विपक्षीगण द्वारा किया गया कृत्य गंभीर एवं संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है तथा उक्त मामले से सम्बन्धित अभिलेखीय साक्ष्य नगर पालिका, पीलीभीत के कार्यालय

Digitally signed by RAVINDRA KUMAR
Date: 2026.06.03 17:01:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

से सम्बन्धित है तथा उक्त प्रकरण की जांच करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी की मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य पुलिस द्वारा ही संकलित की जा सकती है। जिस कारण उक्त मामले की विवेचना कराया जाना नितान्त आवश्यक है। इन परिस्थितियों में याचना की गयी है कि निगरानी स्वीकार करते हुए, प्रश्नगत आदेश दिनांकित–16.10.2025 निरस्त करने की कृपा करें।

3. निगरानी के स्तर पर विपक्षी संख्या–2, 3, 4, 5, 6 व 7 की ओर से निगरानी मेमो के विरूद्ध लिखित आपत्ति 18–ग, प्रस्तुत की गयी है जिसमें कथन किया गया है कि निगरानी मेमो के प्रस्तर–1 लगायत 7 में अंकित समस्त तथ्य असत्य, निराधार व अप्रमाणिक है एवं विधि विरूद्ध रूप से स्वयं हित में भ्रमात्मक रूप से सृजित किये गये है, जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश पूर्णतया विधिनुगत है एवं स्थिर रहने योग्य है। निगरानीकर्ता द्वारा उपरोक्त निगरानी मिथ्या तथ्यों पर विपक्षीगण पर अवैधानिक दबाव बनाने के उद्देश्य से एवं विद्वेषपूर्ण आशय से योजित की गयी है एवं निगरानीकर्ता, विपक्षीगण पर अनुचित दबाव बनाकर नगरपालिका अभिलेखों में अपने हित की प्रविष्टियां कराना चाहता है, जिस हेतु दीवानी प्रकृति के मामले को आपराधिक मामले में परिवर्तित करने हेतु प्रयासरत है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी असत्य, निराधार व मिथ्या तथ्यों पर विद्वेषपूर्ण आशय से योजित की गयी है, जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है एवं निरस्त किये जाने योग्य है।

4. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बहस के समय निगरानी के आधारों को मुख्य तौर पर दोहराया गया और कहा कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, के द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश, तथ्य एवं विधिक प्रक्रिया के विरूद्ध है। विपक्षीगण द्वारा किया गया कृत्य गंभीर एवं संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कराया जाना आवश्यक है। लिहाजा प्रश्नगत आदेश निरस्त कर, निगरानी स्वीकार किये जाने की कृपा की जाये।

निगरानीकर्ता की ओर से अपने कथनों के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की निम्न विधि व्यवस्थाओं–

1. **रिट पिटीशन (क्रिमिनल) नं0–68/2008, ललिता कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0 पी0 व अन्य।**

2. **आपराधिक पुनरीक्षण संख्या–1786/2021, अतुल पाण्डेय उर्फ परम प्रज्ञान पाण्डेय बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य, निर्णीत दिनांक 08.09.2021**

पर भी भरोसा किया गया है जिनका इस न्यायालय द्वारा ससम्मान अवलोकन किया गया।

5. विपक्षी संख्या–1 उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं शेष विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि प्रश्नगत आदेश दिनांकित–16.10.2025 में कोई विधिक, तथ्यात्मक एवं क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं है तथा यह भी तर्क दिया है कि विद्वान मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को परिवाद के रूप में भी दर्ज कर सकता है। निगरानी हर सूरत में निरस्त किये जाने योग्य है।

विपक्षीगण की ओर से अपने कथनों के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की निम्न विधि व्यवस्थाओं–

1. **2022 (2) जे. सीआर. सी. 1727 मैसर्स थरमैक्स लि0 बनाम के0 एम0 जॉनी व अन्य।**
2. **2020 (1) जे. सीआर. सी. 513 ज्ञान प्रकाश उपाध्याय बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य।**
3. **2012 (1) जे. सीआर. सी. 193 स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम राजमल व अन्य।**
4. **2017 (1) जे. सीआर. सी. 594 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम फतेहकरन मेहदू।**
5. **2012 (1) जे. सीआर. सी. 45 आशीष चन्दा बनाम श्रीमती आशा कुमारी व अन्य।**

पर भी भरोसा किया गया है जिनका इस न्यायालय द्वारा ससम्मान अवलोकन किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की विधि व्यवस्था **2020 (1) जे. सीआर. सी. 513 ज्ञान प्रकाश उपाध्याय बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य** के मामले में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता (वर्तमान में धारा–173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर मजिस्ट्रेट को यह विवेकाधिकार है कि वह उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार या अस्वीकार करें अथवा परिवाद के रूप में पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही करें।

माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्थाओं **2012 (1) जे. सीआर. सी. 193 स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम राजमल व अन्य, 2017 (1) जे. सीआर. सी. 594 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम फतेहकरन मेहदू** एवं **2012 (1) जे. सीआर. सी. 45 आशीष चन्दा बनाम श्रीमती आशा कुमारी व अन्य में** यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–397 के अन्तर्गत निगरानी न्यायालय के सीमित क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित हैं जिसका प्रयोग नियमित दिनचर्या स्वरूप नहीं किया जा सकता है।

निष्कर्ष

6. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुने जाने के पश्चात् न्यायालय द्वारा पत्रावली एवं संलग्न प्रश्नगत आदेश का सम्यक् परिशीलन कर पाया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी/निगरानीकर्ता एवं विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों के अवलोकन के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष रूप में कहा है कि ''–– प्रार्थी/आवेदक द्वारा नगर पालिका के कर निर्धारण रजिस्टर में प्रवृष्टि को गलत कहकर तथा उसे आधार बनाकर उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से विपक्षीगण के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत कया गया है। चूँकि उपजिलाधिकारी सदर, पीलीभीत की रिपोर्ट में जांच की गयी और समस्त तथ्य व साक्ष्य परिवादी के पास उपलब्ध है और परिवादी द्वारा उपजिलाधिकारी, सदर पीलीभीत व अन्य प्राधिकारियों के समक्ष कार्यवाही में प्रस्तुत किये गये है। अतः उक्त तथ्य व परिस्थितियों में प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी को सभी तथ्य ज्ञात है और उसकी जानकारी में है। प्रस्तुत प्रकरण ऐसा है, जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर मामले का विधिपूर्ण सम्यक् निस्तारण किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में पुलिस के द्वारा मामले की विवेचना कराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। '' विद्वान विचारण न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न विधि दृष्टांतों 1. **क्रिमिनल अपील संख्या–781/2012 प्रियंका श्रीवास्तव व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य,** 2. **रामबाबू गुप्ता व अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य 2001 (50), ए.सी.सी. इलाहाबाद,** 3. **सुखवासी बनाम उ0 प्र0 राज्य 2007 (59) ए.सी.सी. 739,** 4. **सन गौड़ा आर पाटिल बनाम शिवानंद एस. पाटिल (2024) क्रि0 रिट नं0–7526/2024,** 5. **प्रतीक अग्रवाल बनाम उ0 प्र0 राज्य (2024) क्रि. रिट धारा–482 संख्या–10390/2024 इलाहाबाद उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ बैंच,** एवं 6. **सुभी एंटनी बनाम शूशा एवं अन्य (2025) क्रिमिनल मिसलेनियस नं0 508/2025 केरल उच्च न्यायालय** का विस्तृत उल्लेख करते हुए एवं प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को परिवाद के रूप में दर्ज किया गया है।

7. विद्वान विचारण न्यायालय के प्रश्नगत आदेश के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि निगरानीकर्ता/आवेदक द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के जिस प्रश्नगत आदेश को इस निगरानी में चुनौती दी गयी है उस आदेश के माध्यम से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता/आवेदक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को परिवाद के रूप में दर्ज किया गया है। विद्वान विचारण

न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र इस आधार पर परिवाद में दर्ज किया गया है कि प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण पर लगाये गये समस्त तथ्य/आरोप एवं अभियुक्तगण का नाम पता निगरानीकर्ता के संज्ञान में है, जिनके सम्बन्ध में वह स्वयं साक्ष्य प्रस्तुत कर अपने परिवाद कथनों को साबित कर सकता है। ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय का अभिमत और अधिक मजबूत हो जाता है।

8. इस न्यायालय की राय में भी विद्वान विचारण न्यायालय को उपरोक्त मत सही है कि प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा विपक्षीगण पर लगाये गये समस्त तथ्य/आरोप एवं उनके नाम पते निगरानीकर्ता के संज्ञान में है, जिनके सम्बन्ध में वह स्वयं साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता का प्रार्थना–पत्र परिवाद के रूप में दर्ज कर कोई अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित की गयी हो ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिससे यह निगरानी न्यायालय भी पूर्ण रूप से संतुष्ट है।

9. परिणामतः उपरोक्त परिस्थितियों में विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित–16.10.2025 में स्पष्ट रूप से कोई विधिक/प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है। प्रश्नगत आदेश पूर्णतया वैधानिक एवं नियमित है, उसमें क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि भी नहीं है। निगरानी बलहीन आधारों पर दाखिल की गयी है, जो निरस्त होने योग्य है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश पुष्ट किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निरस्त की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित–16.10.2025 पुष्ट किया जाता है।

निगरानीकर्ता विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.06.2026 को उपस्थित हो।

इस निर्णय की एक प्रति सम्बन्धित विद्वान विचारण न्यायालय को अविलम्ब भेजी जाये।

दिनांकः 02.06.20226

(रविन्द्र कुमार–चतुर्थ)
UPID2014
सत्र न्यायाधीश,
पीलीभीत

निर्णय एवं आदेश आज हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 02.06.2026

(रविन्द्र कुमार–चतुर्थ)
UPID2014
सत्र न्यायाधीश,
पीलीभीत